

अधिष्ठान सम्बंधी नियम एवम् आदेश Establishment Rules and Orders

सेवा सम्बंधी सामान्य शर्तें General Conditions of Service

टेक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) (उप-संस्थान परिचालकों) के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के प्राविधानों में शिथिलता की घोषणा

संख्या : 128-विनियम-23/राविप-98-4 दिनांक/86

दिनांक : अप्रैल 1, 1998

नये 11, 33, 66, 132 के० वी० आदि विद्युत उपसंस्थानों पर, उनके चालू हो जाने पर उनके परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु केवल उपसंस्थान परिचालक के नये पदों के, स्वीकृत मापदण्ड के अनुसार, सृजन का अधिकार परिषदाज्ञा संख्या 872-कार्मिक-8/राविप-81-213ए/65, दिनांक जून 18, 1981 द्वारा मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/(स्तर-2)/महाप्रबन्धक को प्रदान किया गया है। इन नये विद्युत उपसंस्थानों का संचालन टेक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) (उपसंस्थान परिचालक) के कर्मचारियों के अभाव में सम्भव नहीं हो पा रहा है। उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली-1995 में निहित प्राविधानों में 33½ प्रतिशत टेक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) (उपसंस्थान परिचालक) वेतनमान 1200-1800 के पदों पर श्रेणी प-3 (वेतनमान 1100-1575) व प-2 (वेतनमान 1000-1360) में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है। चूंकि श्रेणी प-3 (वेतनमान 1100-1575) व श्रेणी प-2 (वेतनमान 1000-1360) में विद्युत उपसंस्थान परिचालक के पदों पर पदोन्नति हेतु अहं अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, अतएव उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के विनियम 450 (11) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये परिषद यह आदेश करते हैं कि नये 11, 33, 66, 132 के० वी० विद्युत उपसंस्थानों के संचालन हेतु टेक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) (उपसंस्थान परिचालक) के नव सृजित पदों को श्रेणी प-3 (वेतनमान 1100-1575), श्रेणी प-2 (वेतनमान 1000-1360) व श्रेणी प-1 (वेतनमान 900-1190) आदि के पदों पर कार्यरत ऐसे कर्मचारियों जो टेक्नीशियन ग्रेड-2 [विद्युत] उपसंस्थान परिचालक के पद के लिए निर्धारित अष्टा हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित के विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र एवं दो साल का अनुभव पूर्ण करते हों अथवा हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं श्रेणी प-3 (वेतनमान 1100-1575) में 5 वर्ष व श्रेणी प-2 (वेतनमान 1000-1360) श्रेणी प-1 (वेतनमान 900-1190) में न्यूनतम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, को परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के विनियम 15 में उल्लिखित चयन समिति के माध्यम से विनियम 16 में उल्लिखित चयन प्रक्रियानुसार पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

2- उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के प्राविधानों में शिथिलता प्रदान किये जाने सम्बन्धित सक्त निर्णय आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

प्रबन्ध समिति की आज्ञा है,
शरद चन्द्र रस्तोगी
सचिव



E-124

पत्रांक:

/लि० (मा० सं०) /उपाकर्मि/विनियम/अनु-काई/ई-5

दिनांक: 14/10/93

कार्यालय-ज्ञाप

कारपोरेशन के संज्ञान में आया है कि परिचालकीय कर्मचारी सेवाविनियमावली 1995 में निहित न्यूनतम अर्हकारी सेवा सम्बन्धी प्रावधानों को अन्तर्गत टी०जी०-दो (विद्युत) के पदों पर पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने के कारण परिचालकीय अंतर्गर्त के कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है जिससे विद्युत उपसंस्थानों में परिचालकों की कमी है।

विद्युत उपसंस्थानों में परिचालकों की कमी को दूरिगत करते हुए पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली -1995 के विनियम-45 (ii) में निहित शर्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उपसंस्थानों के अंतर्गत हेतु परिषदीय कार्यालय लाप सं० 128-विनियम-23/समिप-98-4विमि/86 दिनांक 1.4.1998 में निहित प्रावधानों के आंशिक संशोधन में अन्य प्रावधान सहायक रखते हुए टेक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) के पद पर प्रोन्नति हेतु फ्रेमी प-1 के पदों पर कार्यरत कर्मिका हेतु अर्हकारी सेवा अवधि 10 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष करने की शिथिलता प्रदान की जाती है।

आवृत्ति एवं प्रबल निदेशक

पत्रांक: 152/12 /लि०(मा० सं०)/उपाकर्मि/विनियम/अनु-काई/ई-5 दिनांकित

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- लिजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबल निदेशक, उ०पा०का० लि०, कर्म भवन, देहरादून।
- 2- लिजी सचिव, निदेशक/परिचालन/विनियम/मा० सं०, उ०पा०का० लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 3- समस्त महाप्रबन्धक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०।
- 4- समस्त उपमहाप्रबन्धक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०।
- 5- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०।
- 6- समस्त उपायुक्त लेखाधिकारी, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०।
- 7- समस्त अधिकारी/अभुगान, कारपोरेट कार्यालय, उ०पा०का० लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून।

आज्ञा से,
(सी० पी० सं०) (अधीनस्थ)
परिचालन कार्यालय अधिकारी

Uttaranchal Power Corporation Ltd.
(A Govt. of Uttaranchal Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwali,
Dehradun - 248001
Phone : 91-135-2763672-75 FAX: 91-135-2769771



उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०
(उत्तरांचल सरकार का उपक्रम)
ऊर्जा भवन, कांवली
देहरादून - 248001
दूरभाष : 2763672-75, फैक्स 91-135-2769771

संख्या : 1105 - मा०सं०/०९का.अनु० ए/बी-1

दिनांक : 30 अप्रैल, 2005

कार्यालय ज्ञापन

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० में सम्प्रति प्रवृत्त पूर्ववर्ती उ०प्र०रा०वि०प० की विज्ञप्ति संख्या : 263 विनि. -23 रा.वि.प.-95-4विनि/86, दिनांक 09-08-1995 द्वारा यथाप्रख्यापित 'उ०प्र०रा०वि०प० परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली-1995' के विनियम-45[II] एवं 47 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उक्त विनियमावली के परिशिष्ट-1(क)कमांक-30 के सम्मुख स्तम्भ-5 में विहित अन्य प्राविधान यथावत् रखते हुए एतद्वारा तकनीशियन ग्रेड-2(लाईन)[श्रेणी प४] पदों पर पदोन्नति हेतु श्रमिक (श्रेणी प१) व कुशल श्रमिक(श्रेणी प२) पदों पर कुल 17 वर्ष की नियमित अनवरत सेवा सम्बन्धी अर्हता के स्थान पर 14 वर्ष करने की शिथिलता इस प्रतिबन्धाधीन प्रदान की जाती है कि चयन समिति उक्त पदधारकों को उनके कार्य के ज्ञान की परीक्षा, शारीरिक क्षमता, विगत सेवा अवधि सम्बन्धी सेवामिलेखों आदि के आधार पर उन्हें इस पद हेतु योग्य पाए।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

निदेशक [मानव संसाधन]

संख्या : 1105 - मा०सं०/०९का.अनु० ए/बी-1, तददिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०पा०का०लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लिमिटेड, देहरादून।
- 3- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक/निदेशक(वित्त/मानव संसाधन), उ०पा०का०लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 4- अधिशासी निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लिमिटेड, देहरादून।
- 4- कम्पनी सचिव, उ०पा०का०लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 5- समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता, उ०पा०का०लि०।
- 6- समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, देहरादून/हल्द्वानी।
- 7- समस्त अधिकारी एवं अनुभाग, उ०पा०का०लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 8- का०ज्ञा०पंजिका/कट फाइल/मास्टर कट फाइल।

PHIMAN

(डा० पी०सी०जोशी)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

✱